प्रथम सूचना रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1	. जिलाःचौकी ,भ्र.नि.ब्यूरी अलवर द्वितीयथानाप्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रु.नि.ब्यूरी जयपुर वर्ष2022
	प्र. इ. रि. सं
2	प्र. इ. रि. सं
	(ब) आधानयम्धाराय
	(स) अधिनियमधारायें
	(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3	(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
	(ब) अपराध घटने का दिन—दिनांक 08.03.2022 / 02.30 पीएम से 15.03.2022 / समय 03.50 पीएम
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.03.2022 / 02.30 पीएम
4	. सूर्चना की किस्में :- लिखित/मौखिक - लिखित
5	. घटेनास्थल :-
	(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी — दिशा उत्तर पूर्व दूरी लगभग 15 कि0मी0
	(ब) पता—ग्राम पंचायत ठेगीकाबांस पं0 समिति रामगढ जिला अलवरबीट सख्याजरायमदेहीसं
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो—पुलिस थाना जिला
6	.परिवादी / सूचनाकर्ता :
	(अ) नाम श्री नरेश सिंह
	(ब) पिता का नाम श्री जनक सिंह
	(स) जन्म तिथि / वर्ष 45
	(द) राष्ट्रीयताभारतीय
	(य) पासपोर्ट सख्याजारी होने की तिथीजारी होने की विथी
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय कृषि कृषि
	(ल) पता गांव बलवन्डका तहसील रामगढ जिला अलवर
7.	,,,,,,,, .
1	—श्री कुन्दनलाल पुत्र श्री हरलाल उम्र 61 वर्ष निवासी गांव ढहंगीकाबास (ठेगीकाबास) तहसील रामगढ
	जिला अलवर हाल सरपंच ग्राम पंचायत ढहंगीकाबास पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर ,
8.	प्रिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :कोई नही
9.	चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
	6,000 / – रूपये रिश्वत राशि की मांग करना
10.	चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)
	6000 / – रूपये रिश्वत राशि.की मांग करना
11.	मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं०)(यदि कोई हो तो) नहीं
12	निष्या तस्त प्रथम दक्तिला रिपोर्ट (अगुर अपेशित हो तो अतिरिक्त प्रन्ता लगारी)

2. 1984 वस्तु प्रथम इत्तिला १९५१ट (अगर अपक्षित हा ता आतारक्त पन्ना लगाय) सेवामें, श्रीमान पुलिस उप अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर, विषय:—रिश्वत लेने वाले को रंगे हाथों पकडवाने के संबंध में, महोदय, निवेदन है कि मै नरेश सिंह पुत्र श्री जनक सिंह राजपूत निवासी गांव बलवन्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर का रहने वाला हूं, हमारी ग्राम पचायत ठेगीकाबांस का सरपंच श्री कुन्दनलाल ग्राम बलवन्डका में मेरे व मेरी पत्नी गुलाब देवी के नाम से मकान का पट्टा देने के लिये सरपंच अपने लडके लाल सिंह के मारफत 8000 / —रूपये रिश्वत में मांग रहा है। मै उन्हें रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी वा रूपये का कोई लेन—देन नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी हस्ताक्षर नरेश सिंह पुत्र श्री जनक सिंह गांव बलवन्डका तह0 रामगढ़, अलवर मोबाईल नम्बर—9694595791, हस्ताक्षर—स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार व वैभव उपाध्याय दिनांक 15.03.2022,

कार्यवाही पुलिसः

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.03.2022 को समय 2.30 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश सिंह पुत्र श्री जनक सिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी गांव बलवन्डका तहसील रामगढ जिला अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी नरेश सिंह से पूछताछ की गई तो उसने स्वयं का पढालिखा होना व उक्त लिखित रिपोर्ट अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि— हमारी ग्राम पंचायत ढहंगीकाबास

का सरपंच श्री कुन्दनलाल गांव बलवन्डका में मेरे व मेरी पत्नी गुलाब देवी के नाम से मकान का पट्टा देने के लिये अपने लड़के लाल सिंह के मार्फत प्रति पट्टा 4000-4000 रूपये के हिसाब से दोनो पट्टों के 8000 / - रूपये रिश्वत में मांग रहा है। सरपंच और उसके लड़के से मैने काफी विनती की है किन्तु सरपंच बिना रिश्वत लिये पट्टा देने से मना कर रहा है। मै अपने एवं अपनी पत्नी के मकान के पटटों से सम्बन्धित कागजात सरपंच कुन्दनलाल को पूर्व में ही दे चुका हूं, उनके अलावा अन्य कोई कागजात अब मेरे पास नहीं है। मै ऐसे भ्रष्ट सरपंच को 8000/ रूपये रिश्वत में नहीं देकर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हं। मेरी तथा मेरे किसी परिवार के सदस्य की सरपंच श्री कुन्दललाल व उसके लंडके लालसिंह से कोई नई तथा पुरानी दुश्मनी नहीं है और न ही किसी प्रकार की राशि का कोई लेन-देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से राजकार्य को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने रूवयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर समय 05.00 पीएम पर परिवादी नरेश सिंह को आरोपी सरपंच कुन्दनलाल से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अब शाम हो चुकी है तथा जब तक मै अलवर से सरपंच कुन्दनलाल के गांव ढंहगीकाबास में पहुंचुगा तब तक रात हो जायेगी और रात्रि में सरपंच कुन्दनलाल से वार्ता किया जाना संभव नहीं है, कल दिनांक 09.03.2022 को सुवह 10-11 बजे सरपंच कुन्दनलाल से उसके गांव में उसके घर पर जाकर रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर कार्यालय में उपस्थित श्री राजवीर सिंह कानि0 नं.443 को मैने मेरे कक्ष में बुलाकर उसका परिवादी नरेश सिंह से आपस में परिचय करवाया एवं आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये, तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डेर मैक मॉडल सोनी बरंग ब्लैक को निकालकर परिवादी एवं राजवीर सिंह कानि0 को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को उसके कहे अनुसार पाबंद किया कि वह दिनांक 09.03.2022 को सुवह 7-8 बजे के आस-पास अलवर -रामगढ रोड स्थित केसरोली मोड पर राजवीर सिंह कानि० से सम्पर्क कर उसके हमराह आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के गांव ढहंगीकाबास में पहुंचकर राजवीर सिंह कानि0 से टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के पास जाकर उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बंध में गोपनीय वार्ता कर उस वार्ता को टेपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे तथा वार्ता होने के बाद वापस आकर टेप रिकार्डर को उसी हालत में कानि0 राजवीर सिंह को सपुर्द करें तथा राजवीर सिंह कानि0 को विभागीय डिजीटल टेपरिकॉर्डर लेकर दिनांक 09.03.2022 को प्रातः 7 एएम पर केसरोली मोड पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर को वापस कार्यालय की आलमारी में रखा गया, तत्पश्चात परिवादी नरेश सिंह को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 09.03.2022 को समय 10.30 एएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 ने मन पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आज दिनांक 09.03.2022 को समय करीब 7.49 एएम व 7.57 एएम पर परिवादी श्री नरेश सिंह ने अपने मोबाईल फोन नम्बर -9694595791 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8696779977 पर कॉल कर मुझे बताया है कि आज सरपंच कुन्दनलाल किसी सरकारी कामकाज से जयपुर गया हुआ है वह देर रात तक वापस आयेगा इस कारण सरपंच से आज बातचीत होना संभव नहीं है, कल दिनांक 10.03.2022 को सुवह 7-8 बजे के आस पास सरपंच कुन्दनलाल से उसके गांव में बातचीत हो जायेगी। इस पर राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी से सम्पर्क रखते हुये विभागीय डिजीटल टेपरिकॉर्डर लेकर दिनांक 10.3.2022 को प्रातः 7-8 एएम पर केसरोली मोड पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके बाद दिनांक 10.03.2022 को समय 07.05 ए.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आज समय करीब 6.41 ए.एम. व 7.00 ए.एम. पर परिवादी नरेश सिंह ने अपने मोबाईल फोन नम्बर 9694595791 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर-8696779977 पर कॉल कर बताया है कि सरपंच कुन्दनलाल जयपुर से आ गया है और वह आज अपने गांव ढहंगीका बास में अपने घर पर ही मिलेगा जिससे रिश्वत के संबंध में बातचीत हो जायेगी। परिवादी ने मुझे केसरोली मोड पर मिलने को कहा है। इस पर समय करीब 7.10 ए.एम. पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग ब्लैक निकालकर उसमें नया सैल एवं नया एसडी कार्ड डालकर चालू कर उसके किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चत कर श्री राजवीर सिंह कानि0 नम्बर 443 को उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्ड चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर अजय कुमार हैड कानि० व श्री लल्लूराम कानि० के सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार गन्त्वय स्थान केसरोली मोड पर समय करीब 8.00 ए.एम. तक पहुचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी नरेश सिंह से सम्पर्क कर उसको हमराह लेकर आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के गांव ढहंगीकांबास में पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू

हालत में परिवादी को सुपूर्व कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के पास उसके गांव ढहंगीकाबास स्थित घर पर भेजकर आरोपीं सरपंच कुन्दनलाल द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर राजवीर सिंह कानि० 443 को कार्यालय से समय करीब 7.25 ए.एम. पर रवाना किया गया जो उसी रोज समय 11:00 ए.एम. पर उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 8.00 ए.एम. पर अलवर-रामगढ रोड स्थित केसरोली मोड पर पहुंचा जहां पर मुझे परिवादी श्री नरेशसिंह अपनी मोटरसाईकिल सहित खडा मिला जो मुझे अपनी मोटरसाईकिल पर बैढकार गांव ढहंगीकाबास पहुंचा जहां एकान्त स्थान पर मोटरसाईकिल को खड़ा करवाकर मैने अपने पास से डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं तारीख भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी को दिया जिसको परिवादी ने अपनी पैन्ट की दाहिनी जेब में रख लिया, उसके बाद मै और परिवादी दोनो मोटरसाईकिल से गांव ढहंगीकाबास में स्थित आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के मकान के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने मुझे मोटरसाईकिल से उतार दिया और स्वयं परिवादी मोटरसाईकिल को लेकर आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के पास उसके घर पर चला गया मै भी अपनी पहचान छिपाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे चला गया और सरपंच के घर के आस पास परिवादी पर नजर बनाये खंडा रहा, कुछ समय के बाद परिवादी नरेश सिंह सरपंच कुन्दनलाल के घर के अन्दर से बाहर आया और अपनी मोटरसाईकिल पर बैढकर गांव से बाहर रोड पर आ गया, मै भी उसके पीछे पीछे आ गया, फिर एकान्त स्थान पर परिवादी ने मोटरसाईकिल रोक कर अपने पास से डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी सरपंच कुन्दनलाल से बात हो गई है वह मुझसे पट्टा देने के बदले में 6000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया है। मैने सारी बातों को टेप में रिकार्ड कर लिया है। इस पर मै और परिवादी उसकी मोटरसाईकिल से गांव ढहंगीका बास से चलकर केसरोली मोड पर आये जहां से परिवादी नरेश सिंह रिश्वत राशि का इन्तजाम कर लेकर दो-तीन घंटे में कार्यालय में आने की कहकर अपने गांव चला गया और मै वापस आ गया हूं। इस पर श्री राजवीर सिंह कानि0 से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ऐयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से सरपंच कुन्दनलाल द्वारा परिवादी से उसके एवं उसकी पत्नी के नाम मकान के पट्टा देने की एवज में 6000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किया जाना स्पष्ट पाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कब्जे की कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 11.03.2022 को समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे बताया कि दिनांक 09.03.2022 को सरपंच कुन्दनलाल किसी सरकारी काम से जयपुर चला गया था और देर रात को वापस आया था जिसके बारे में मैने आपके कर्मचारी राजवीरसिंह को फोन कर बता दिया था, उसके बाद मैने आपके कर्मचारी राजवीर सिंह को आज सुवह फोन कर केसरोली मोड पर बुलाया जो आज समय करीब 8 बजे के आस पास मुझे केसरोली मोड पर मिल गया, जिसको मै अपनी मोटरसाईकिल पर बैढाकार कैसरोली मोड से रवाना होकर गांव ढहंगीकाबास पहुंचा और गांव से पहले मैने एकान्त स्थान पर मोटरसाईकिल रोकी फिर राजवीर सिंह कानि0 ने अपने पास से छोटा सा काले रंग का टेप रिकार्डर निकालकर उसे चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं मेरा नाम पता बुलवाकर वह टेप रिकार्डर चालू हालत में मुझे दिया जिसको चालू हालत में मैने अपनी पैन्ट की दाहिनी जेब में रख लिया, उसके बाद हम दोनों वहां से खाना होकर सरपंच कुन्दनलाल के घर के पास पहुंचे मैने सरपंच के घर से पहले राजवीर सिंह को मोटरसाईकिल से उतार दिया और मै अकेला सरपंच साहब के घर पर चला गया, राजवीर सिंह भी सरपंच के घर के आस पास आकर खडा हो गया। मै सरपंच साहब के घर पर पहुंचा तो कुन्दनलाल सरपंच साहब घर के अन्दर् मिल गये, उनके पास उनके गांव का ही कन्हैया बैठा हुआ था, मैने सरपंच साहब से अपने व अपनी पत्नी के मकान के पटटों के बारे में बातचीत की एवं उनके लड़के लाल सिंह द्वारा दोनो पटटों के 8000 रूपये मांगने के संबंध में बताते हुये उक्त राशि में से कुछ कम करने को कहा तो सरपंच साहब 6000 रूपये लेने पर सहमत हो गये, मैने सरपंच की सारी बातें टेप रिकार्डर में रिकार्ड करली और वार्ता करने के बाद मै अपनी मोटरसाईकिल से सरपंच के घर से रवाना होकर बाहर आया, मेरे पीछे पीछे राजवीर सिंह भी आ गया, मैने एकान्त जगह देखकर मोटरसाईकिल रोक कर टेप रिकार्डर चालू हालत में राजवीर सिंह को दे दिया जिसको राजवीर सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया, उसके बाद मैने सरपंच से हुई सारी बातें राजवीर सिंह को बता दी थी। इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर केसरोली मोड पर आये तथा मैने राजवीर सिंह से सरपंच द्वारा मांगी गई 6000 रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आपके कार्यालय में आने की कहकर अपने गांव चला गया तथा राजवीर सिंह अलवर के लिये रवाना हो गया था। दिनांक 10.03.2022 को मुझ पर राशि का इन्तजाम न होकर आज इन्तजाम होने पर अपने साथ लेकर उपस्थित आया हूं। इसके बाद समय 04.30

ए.एम. पर परिवादी नरेश सिंह एवं राजवीर सिंह कानि0 व अजय कुमार हैड कानि0 के सामने मेरे कब्जे की कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी नरेश सिंह एवं सरपंच कुन्दनलाल के मध्य दिनांक 10.03.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेवल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की हूबहू फर्द ट्रासिकेप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी नरेश सिंह द्वारा अपनी एवं आरोपी कुन्दनलाल सरपंच की आवाज होने की पहचान के साथ साथ एक आवाज अन्य व्यक्ति कन्हैया निवासी ढहंगीकाबास की होना बताया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द-ब-शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसिकप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी नरेश सिंह ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों सीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर सीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों सीडीयों में से दो सीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक सीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया तथा शील्डशुदा सीडी मार्क A-1, A-2 को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं काटछाट नही की गई। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक के दो दिन अन्य किसी दीगर गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण परिवादी नरेश सिंह को आरोपी सरपंच कुन्दनलाल की उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त कर दिनांक 14.3.2022 को प्रातः 8 ए.एम. पर मय रिश्वत राशि के एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 14.03.2022 को समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी नरेश सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि आज मेरी किसी अन्य मामले में कोर्ट में तारीख थी जिसके कारण सुवह आपके कार्यालय में नही आ सका। मुझे किसी के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरपंच साहब आज नहीं बल्कि कल दिनांक 15.03.2022 को 11—12 बर्ज के आस—पास मेरे गांव के स्कूल में बच्चों के समारोह में आयेंगे और वहीं पर समारोह उपरान्त मुझसे मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। इस पर परिवादी के कथनानुसार परिवादी नरेश सिंह को दिनांक 15.03.2022 को प्रातः 8.00-9.00 ए.एम. पर कार्यालय में मांगी गई रिश्वत राशि सहित उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया, तथा कार्यालय स्टाफ को भी सुवह निर्धारित समय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया, तथा समय 06.00 पी.एम. पर दीगर गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान सर्व श्री मनोज कुमार सीए सैकण्ड व श्री वैभव उपाध्याय सीए सैकण्ड कार्यालय सहायक अभियंता ए तृतीय जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अलवर को जरिये राजवीर सिंह कानि0 उनके मोबाईल फोनों पर फोन करवाकर उन्हें दिनांक 15.03.2022 को प्रात:-9.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तथा समय 06.30 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर प्रथम को जरिये दूरभाष श्रीमती सुनीता गुप्ता महिला कानि० नम्बर 201 एसीबी चौकी प्रथम अनवर को दिनांक 15.03.2022 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतू पाबन्द कर भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। इसके बाद दिनांक 15.03.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर पाबन्द शुदा गवाह श्री मनोज कुमार सीए सैकण्ड व श्री वैभव उपाध्याय हाल सीए सैकण्ड कार्यालय सहायक अभियंता ए तृतीय जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अलवर उपस्थित कार्यालय आये जिन्हें कार्यवाही से अनिभन्न रखते हुये कार्यालय के कमरे के अन्दर बैठाया गया तथा समय 10.30 ए.एम. पर पाबन्द शुदा श्रीमति सुनीता गुप्ता महिला कानि० २०१ एसीबी चौकी अलवर प्रथम अलवर उपस्थित कार्यालय आई जिसे भी कार्यालय में बैढाया गया, तत्पश्चात समय 10.45 ए.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि0 443 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी नरेश सिंह ने मुझे अपने मोबाईल फोन से फोन कर बताया है कि सरपंच कुन्दनलाल आज हमारे गांव के स्कूल में आयोजित समारोह में एक-दो घंटे के बाद आने वाला है मैं उसके आने के इन्तजार में बैढा हुआ हूं, तथा यहां से आपके कार्यालय अलवर आउंगा तो उसके आदिमयों ने मुझे देख लिया तो उसे मुझ पर शक होने की पूरी पूरी सम्भावना है, रिश्वत राशि का इन्तजाम होकर राशि मेरे पास है, मै केसरोली मोड से आगे लोहिया का तिवारा पर मिल जाउंगा। इस पर परिवादी नरेश सिंह को घंटा डेढ घंटे के बाद केसरोली मोड से पहले लोहिया का तिवारा पर मिलने के लिये जिरये कानि० राजवीर सिंह के पाबन्द किया जाकर समय 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर श्री राकेश कुमार कानि० नं. 299 व तल्लूराम कानि० नं. 487 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से एवं स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार व रामजीत सिंह कानि० नं. 206 को गवाह मनोज कुमार की

मोटरसाईकिल से एवं स्वतंत्र गवाह श्री वैभव उपाध्याय व अजय कुमार हैड कानि0 नं.-36 को गवाह वैभव की मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ सदस्य श्रीमित सुनीता महिला कानि0 201 को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री एवं पानी से भरे केम्पर एवं निहाल सिंह कानि0 595 को मय फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित जरिये प्राईवेट वाहन लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से केसरोली मोड/लोहिया का तिवारा के लिये खाना हुआ, कार्यालय में महेश कुमार चालक एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। समय 11.50 ए. एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के अलवर-रामगढ रोड स्थित केसरोली मोड से पहले स्थित लोहिया के तिवारा पर पहुंचा, जहां पर परिवादी नरेश सिंह अपनी मोटरसाईकिल सहित रोड के साईड में खडा मिला, जहां पर वाहनों को रोककर साईड में खडा करवाया गया तत्पश्चात ट्रेप पार्टी में साथ आये हुये गवाहान श्री मनोजकुमार व वैभव उपाध्याय का परिवादी नरेश सिंह से आपस में परिचय करवाया गया एवं दोनो गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात उपस्थित परिवादी नरेश सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 8.03. 2022 दोनो गवाहों को दिखाई एवं पढवाई गई एवं रिपोर्ट पर दोनो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासिकेप्ट दोनो गवाहान को पढवाई गई एवं आईओ प्रति सीडी को लेपटोप की मदद से चालू कर एयरफोन की मदद से रिकार्ड वार्ता के मुख्य अश सुनाये गये एवं फर्द ट्रांसिकेप्ट में वर्णित वार्तालाप से मिलान करवाया गया जो गवाहान द्वारा मिलान हुंबहु होना स्वीकार करते हुये रिश्वत की मांग का स्पष्ट होना स्वीकार किया। इसके बाद समय 12.05 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार व वैभव उपाध्याय के सामने परिवादी श्री नरेश सिंह ने मांगने पर आरोपी कुन्दनलाल सरपंच को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000 / – रूपये का एक नोट एवं 500-500 / - रूपयें के 08 नोट कुल 6000 / - रूपये (छः हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात प्राईवेट वाहन की डिग्गी को खुलवाकर बाहर खडे होकर डिग्गी के अन्दर एक साफ अखवार बिछवाकर श्री निहाल सिंह कानि० नम्बर-595 से उसके हमराह कार्यालय से साथ लाई हुई फिनोफ्थलीन पाऊंडर की शीशी में से थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाऊंडर निहाल सिंह कानि0 नं. 595 से डिग्गी में बिछवाये हुये अखवार पर निकलवाकर 6000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर उक्त पाउडर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी नरेश सिंह की जामा तलासी गवाह श्री मनोज कुमार से लिवाई गई जिसमें उसके पास बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री निहाल सिंह कानि0 595 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 6000 / - रूपये के नोट परिवादी नरेश सिंह के बदन पर पहनी हुई पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे और आरोपी सरपंच कुन्दनलाल के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर अथवा गले में पड़ी साफी को गले से उतार कर कंधे पर रखने का ट्रेप पार्टी को ईशारा करे, साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी सरपंच के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखें तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री राजवीर कानि. से गाडी में रखे हुये एक कांच के साफ गिलास को निकलवाकर पुनः साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से गाडी के अन्दर रखे हुये ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री वैभव उपाध्याय से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री निहाल सिंह कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी ढक्कन बंद करवाकर श्री निहाल सिंह कानिं0 से अलग से कैरीबैग में रखवाई गई तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री निहाल सिंह कानि0 से गिलास के धोवन को नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया, इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले

उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी नरेश सिंह को छोडकर दोनों गवाहान, स्टाफ तथा मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपित्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी नरेश सिंह को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी सरपंच कुन्दनलाल से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपूर्व कर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई, एवं श्री निहाल सिंह कानि0 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय जाने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 12.40 पी.एम. पर श्री निहाल सिंह कानि0 नम्बर-595 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित मौके से रवाना एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय अलवर किया गया तथा समय 12.45 पी.एम. पर समस्त स्टाफ ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक-दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई आपत्तीजनक वस्तु नही रहने दी गई पार्टी सदस्यों को परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया जाकर समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी श्री नरेश सिंह को उसकी मोटरसाईकिल से राजवीर सिंह कानि० 443 के हमराह आगे आगे उसके गावं बलवन्डका के लिये रवाना कर उनके पीछे पीछे स्वतंत्र गवाह श्री वैभव उपाध्याय व कानि0 रामजीत को गवाह वैभव की मोटसाईकिल से एवं उनके पीछे गवाह श्री मनोज कुमार की मोटरसाईकिल से श्री अजय कुमार हैंड कानि0 36 को एवं श्री राकेश कुमार व लल्लूराम कानि0 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से बाद हिदायत रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय श्रीमति सुनीता महिला कानि0 201 व स्वतंत्र गवाह मनोजकुमार को मय ट्रेप बोक्स लेपटोप व प्रिंटर आदि समान सहित जरिये प्राईवेट वाहन केसरोली मोड होता हुआ परिवादी के गांव बलवन्डका के लिये रवाना होकर समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी के गांव बलवण्डका के नजदीक पहुंचा, जहां पर रोड के एक तरफ आगे पीछे पूर्व से रवाना शुदा परिवादी नरेश सिंह व राजवीर सिंह कानि0 तथा अजय कुमार हैड कानि0, राकेश कुमार, लल्लूराम, रामजीत सिंह कानि० व स्वतंत्र गवाह श्री वैभव उपाध्याय मोटरसाईकिलो सहित खडे मिले वहीं पर वाहन को कुछ दूरी पर निर्जन स्थान पर एक साईड में खडा करके परिवादी नरेश सिंह एवं राजवीर सिंह कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी कुन्दनलाल सरपंच के पास स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलवण्डका के लिये तथा श्री अजय कुमार हैड कानि० व रामजीत सिंह कानि0 एवं गवाह वैभव उपाध्याय को गांव बलवण्डका में ही आरोपी सरपंच के गांव ढहंगीकाबास की तरफ जाने वाले रोड पर खडे होने के लिये तथा श्री राकेश कुमार लल्लू राम कानि0 को गांव बलवण्डका में स्कूल की तरफ जाने वाले रोड से पहले खडे होने हेतु एवं आपस में एक दूसरे से सम्पर्क रखते हुये बाद हिदायत मोटरसाईकिलों के जरिये रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाह श्री मनोज कुमार, एवं महिला कानि० श्रीमती सुनीता गुप्ता सहित वाहन को कुछ आगे लेकर रोड के साईड में खड़ा कर मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 ने जरिये फोन मुझे बताया कि मै व परिवादी नरेश सिंह स्कूल के अन्दर है तथा स्कूल में समारोह चल रहा है आरोपी सरपंच भी समारोह में हाजिर है, कुछ समय के बाद समारोह समाप्त होने वाला है। इसके बाद समय 02.25 पी.एम. पर परिवादी नरेश सिंह एवं कानि0 राजवीर सिंह मोटरसाईकिल से बिना ईशारे किये मेरे पास आये एवं परिवादी नरेश सिंह ने मुझे बताया कि स्कूल में समारोह समाप्त होने के बाद मैने सरपंच कुन्दनलाल को एक तरफ साईड में ले जाकर बातचीत कर उसे उसकी मांग अनुसार 6000 रूपये दिये तो सरपंच ने पैसे लेने से मना करते हुये कहा कि साहेडी डायरेक्टर का बच्चा खत्म हो गया है अभी मै वहां जा रहा हूं बाद में देखेंगे और यह कर मोटरसाईकिल पर बैढकर चला गया है, आज वह पैसे नहीं लेगा और किसी दिन लेगा। इस पर परिवादी के कथनों अनुसार आरोपी सरपंच कुन्दनलाल द्वारा आज परिवादी से रिश्वत राशि नहीं लेने की सम्भावना को मध्य नजर रखते हुये तथा आईन्दा कार्यवाही करना उचित समझकर मन पुलिस उप अधीक्षक परिवादी नरेश सिंह, दोनो गवाहो एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को मय ट्रेप बोक्स एवं निजी लेपटोप व प्रिंटर आदि सामान के लेकर जिरये प्राईवेट वाहन एवं मोटरसाईकिलों के समय 2.40 पी.एम. पर परिवादी के गांव बलवण्डका से वाया केसरोली मोड अलवर के लिये रवाना होकर समय 03.20 पी.एम. पर वापस एसीबी चौकी अलवर द्वितीय अलवर आया जहां पर समय 3.25 पी.एम. पर दोनो गवाहान व परिवादी के सामने परिवादी नरेश सिंह को पूर्व में सुपुर्द शुदा पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 8 नोट एवं 2000 / – रूपये का एक नोट कुल 6000 / – रूपये श्री निहाल सिंह कानि0 नं. 595 से परिवादी नरेश सिंह की पैंट की दाहिनी साईड की जेब से निकलवाकर पूर्व की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से

दोनो गवाहो से मिलान करवाकर एक सफेद रंग के लिफाफे में रखवाये जाकर पाउडर युक्त रिश्वती राशि 6000 / - रू. मय लिफाफा को अजयकुमार मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये। इस समस्त कार्यवाही की फर्दे मुर्तिव कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 03.50 पी.एम. पर दोनो गवाहों के सामने परिवादी नरेश सिंह ने मांगने पर अपने पास से सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर पेश किया जिसको कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया गया तो उसमें परिवादी व आरोपी सरपंच कुन्दनलाल की आज दिनांक 15.03.2022 को वक्त कार्यवाही लेन-देन संबंधी वार्ता रिकार्ड पाई गई जिसकी हूबहू फर्द ट्रास्किप्ट तैयार की गई तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता को तीन खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों सीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर सीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों सीडीयों में से दो सीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक सीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपड़े की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईघागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंघान पत्रावली पर रखा गया, उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नहीं की गई, तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन-देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिक्स 16 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा सीडी मार्क B-1, B-2 को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क-SD को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया तथा समय 06.00 पी.एम. पर परिवादी को आईन्दा आरोपी सरपंच कुन्दनलाल द्वारा रिश्वत लेकर बुलाने पर कार्यालय में उसी समय सूचना देकर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया तथा दोनो गवाहान व कार्यालय स्टाफ ट्रेप पार्टी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 23.03. 2022 को समय 01.15 पी.एम. पर परिवादी नरेश सिंह कार्यालय में उपस्थित आया एवं मुझे बताया कि सरपंच श्री कुन्दनलाल शंका होने से मुझसे अब रिश्वत राशि नहीं ले रहा है और ना ही पट्टा जारी कर रहा है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा, मेरी समस्या को मध्यनजर रखते हुये मेरी 6000 / - रूपये की राशि को वापस लोटाया जावे, इस संबंध में परिवादी नरेश सिंह द्वारा अपने हस्ताक्षरों से लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, तत्पशचात श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक से पाउडर युक्त राशि 6000 / - रूपये को लिफाफा सहित कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर उक्त राशि 6000 / – रूपयों को लिफाफा से बाहर निकलवाकर उन्हें फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादी नरेश सिंह को वापस लोटाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई, ताबाद परिवादी नरेश सिंह को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री नरेश सिंह पुत्र श्री जनक सिंह जाित राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी गांव बलवन्डका तहसील रामगढ जिला अलवर की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसिकेप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2022 एवं की गई समस्त कार्यवाही आदि से श्री कुन्दनलाल सरपंच ग्राम पंचायत ढहंगीकाबास (ठेगीकाबास) पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वय के लिये परिवादी श्री नरेश सिंह से उसके एवं उसकी पत्नी श्रीमती गुलाब देवी के नाम मकान का पट्टा जारी करने की एबज में 6,000 /—रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 15.03.2022 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलवण्डका में समारोह समाप्ति उपरान्त परिवादी से मांगी गई रिश्वत राशि बाद में लेने हेतु कहकर एवं बहाना बनाकर स्कूल से चले जाना तथा परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार शंका होने से उससे अब पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करना और ना ही परिवादी का पट्टे संबंधी कार्य करना पाया गया है।

• अतः श्री कुन्दनलाल पुत्र श्री हरलाल उम्र 61 वर्ष निवासी गांव ठेगीकाबास तहसील रामगढ जिला अलवर हाल सरपंच ग्राम पंचायत ढहंगीकाबास (ठेगीकाबास) पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।



कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री कुन्दनलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत ढहंगीकाबास (ठेगीकाबास), पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 265/2021 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2328-32 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र० नि० ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।